न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर) शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुन्तला चौधरी R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
थानाराम पुत्र दीपाराम जाति मीणा निवासी कानाकोलर तह0 शिवगंज	बनाम	राजरथान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री कांतिलाल परिहार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 29/2024

दिनांक 22.08.2024

–:आदेश:–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा कुकडीखेडा पटवार हल्का बादला भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र शिवगंज तहसील शिवगंज के खसरा नंम्बर 32/4 रकबा 0.8094 हैक्टयर संयुक्त कृषि भूमि आई हुई है परन्तु राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों ने प्रार्थी का नाम अनाराम पुत्र दीपाजी जाति मीणा गलत नाम दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसै आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड इत्यादि में सही नाम थानाराम पुत्र दीपारामजी है। अतः प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में नाम दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश कर नाम शुद्धी करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज ने दिनांक 23.07.2024 को जवाब पेश किया जिस पर उभय पक्ष की दिनांक 13.08.2024 को बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में अपने कथनों को पुनः दोहरा कर बताया कि मौजा कुकडीखेडा पटवार हल्का बादला भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र शिवगंज तहसील शिवगंज के खसरा नंम्बर 32/4 रकबा 0.8094 हैक्टयर संयुक्त कृषि भूमि आई हुई है परन्तु राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों ने प्रार्थी का नाम अनाराम पुत्र दीपाजी जाति मीणा गलत नाम दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी के अन्य सरकारी अथवा गैर सरकारी सभी दस्तावेजों जैसै आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड इत्यादि में सही नाम थानाराम पुत्र दीपारामजी है। स्टेट की और से तहसीलदार शिवगंज ने भी प्रार्थी का नाम अनाराम पुत्र दीपाजी की जगह थानाराम पुत्र दीपाराम नाम सही करने को उचित बताया।

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः **मौजा कुकडीखेडा** पटवार हल्का बादला भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र शिवगंज तहसील शिवगंज के **खसरा नंम्बर 32/4 कुल रकबा 0.8094 हैक्टयर** में दर्ज नाम अनाराम पुत्र दीपाजी के स्थान पर **"थानाराम पुत्र दीपाराम"** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(शकुन्तला चौधरी R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:33:16 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांकः–कोर्ट/2024/ 484 दिनांक 22–08–2024

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)